

2017/00080

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्रीकन्हैयालाल स्वामी आर 0ए0एस)

मु0 संख्य 30 / 2017

प्रार्थी खाद्यसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर	बनाम	अप्रार्थी 1 श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन उम्र 40 वर्ष, जाति जैन मूल निवासी- देवीकोट, तह. फतेहगढ, जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर, देवीकोट, जैसलमेर (राज.) 2 मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर, देवीकोट, जैसलमेर
---	------	---

(अपराध अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (II) एफ.एस.एस एक्ट 2006 नियम 2011)

--: आदेश :-

दिनांक: 20 सितम्बर 2017

1. श्रीलक्ष्मीकान्तगुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत न्याय निर्णयन आवेदन निम्न प्रकार पेश किया कि:- यह है कि मुस्तगीस अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 06.09.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 1033 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर आवंटित किया गया है और जैसलमेर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह है कि अभियुक्त क्र. सं. 1 श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन उम्र 40 वर्ष, जाति जैन मूल निवासी- देवीकोट, तह. फतेहगढ, जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर, देवीकोट, जैसलमेर (राज.) 2 मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर, देवीकोट जैसलमेर हैं।
- 2 यह है कि दिनांक 10.03.2017 को 2पी.एम. मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर, देवीकोट जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान, संस्थान पर विक्रेता श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन उम्र 40 वर्ष, जाति जैन मूल निवासी- देवीकोट, तह. फतेहगढ, जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर, देवीकोट, जैसलमेर (राज.) पर कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र/पंजीयन दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर उपलब्ध था, जो कि उसने दिखाया, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
- 3 यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ नमकीन भुजिया बीकाजी ब्राण्ड 400 ग्राम पॉलीपैक के 18 नग विक्रय हेतु रखे हुए थे, मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात् 400 ग्राम के 4 पैक

154

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

- नमूने वास्ते लिये, जिसके पेटे 280 रूपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।
- 4 यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद सुदा नमकीन भुजिया बीकाजी ब्राण्ड 400 ग्राम पॉलीपैक के मूल पैक को मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पैक पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोंड एवं सिरीयल नम्बर एन- 665 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। नमूनों को खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन-665 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील सँ मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-665 नमकीन भुजिया बीकाजी ब्राण्ड लिखकर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों को अपने जाफ़े में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैंने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।
 - 5 यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 3 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को श्री हरीश पंवार, लिपिक, सीमएचओ, जैसलमेर द्वारा दिनांक 14.03.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर का जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 10.03.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
 - 6 यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/9091-93 दिनांक 03.04.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./254/Act/2017/255 दिनांक 24.03.2017 अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप होना पाया गया है, जो कि एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन है, जिसका जुर्माना धारा 51 एफ. एस.एस.ए.-2006 में वर्णित है। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
 - 7 यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/स्वी./एन-665/ 16142.दिनांक 22.6.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।
 - 8 यह है कि उक्त केस में विक्रेता एवं मालिक क्र. सं. 1. श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन उम्र 40 वर्ष, जाति जैन मूल निवासी- देवीकोट, तह. फतेहगढ, जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर, देवीकोट, जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर, देवीकोट, जैसलमेर ने

अमानक नमकीन भुजिया बीकाजी ब्राण्ड 400 ग्राम पॉलीपैक ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

9 श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगाशा तथा सलग्न प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर इस्तगाशा दर्ज किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायलान दिनांक 09.8.17 को उपस्थित हुवा तथा लिखित में प्रार्थना पत्र निम्न अनुसार पेश कर निवेदन किया :-

- 1- बीकाजी भुजिया सेम्पल सब स्टेण्डर्ड पाया गया है जो स्वीकार है।
- 2- भुजिया का निर्माण हमारे द्वारा नहीं किया है मात्र पैकिंग माल बेचा है।
- 3 नमूना जॉच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है स्वीकार है लोक अदालत की भावना से प्रकरण विधि करने की प्रार्थना है।
- 4 आईन्दा पेशी हाजरी माफी प्रदान करावें।
- 5 किया गया वह स्वीकार है।
- 6 कि भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी।
- 7 किया गया निर्णय अपील नहीं करेंगे

गैरसायलान द्वारा जुर्म स्वीकार करने से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करने अथवा साक्ष्य सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं रही है। गैरसायलान द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रार्थना की है जुर्म स्वीकार कर लेने से गैरसायलान द्वारा अमानक मिथ्या छाप सामग्री नमकीन भुजिया बीकाजी ब्राण्ड विक्रय करने के दोषी साबित है जिससे स्पष्ट है कि गैरसायलान द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006. एवम् नियम 2011 की धारा 51,52 में निर्धारित है। अतः लोक अदालत की भावना से सहानुभूतिपूर्वक रुख अपनाते हुवे गैरसायलान नम्बर एक व दो पर सयुक्त रूप से रूपये 15,000 अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र की शरित अर्थ दण्ड आदेशित किया जाता है। आदेशित अर्थ दण्ड की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर के न्यायालय में जरिये चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक माह के अन्दर जमा करवाकर पालना पालना पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 20.09 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कन्हैयालाल स्वामी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

क्रमांक/एफएसएसएक्ट/निर्णय/17/ 1518-1522 दिनांक:-20.09.2017

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवम् पालनार्थ प्रेषित है:-

1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवम् निदेशक (जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाए जयपुर

2- अभिहित अधिकारी एवम् मुख्यचिकित्सा अधिकारी जैसलमेर/खाद्यसुरक्षाअधिकारी जैसलमेर

3 श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन उम्र 40 वर्ष, जाति जैन मूल निवासी- देवीकोट, तह. फतेहगढ, जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर, देवीकोट, जैसलमेर (राज.)

2 मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर, देवीकोट, जैसलमेर



न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

